मुकदमा संख्या – 213/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये

06.05.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा अरणाय में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत साबिक खसरा संख्या 506 रकबा 39 बिघा 09 बिस्वा खसरा संख्या 631 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा खसरा संख्या 630 रकबा 09 बिस्वा स्थित है। जिसके मूल खातेदार प्रार्थीगण के पिता–दादा स्व हड़मता वल्द काछबा एंव अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 12 के पिता दादा स्व हरजी वल्द काछबा साकिन–अरणाय में उक्त आराजी का आदिनांक तक सहखातेदारान् के मध्य किसी प्रकार का विधिवत भू–विभाजन नहीं हुआ है उक्त वादग्रस्त आराजी में सबसे बड़ा खसरा संख्या 506 रकबा 39 बिघा 09 बिस्वा था, जिसमें प्रार्थीगण के दाद–पिता स्व हड़मता वल्द काछबा का आधा हिस्सा तथा शेष आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 12 के दादा–पिता हरजी वल्द काछबा ने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के दादा–पिता हड़मता वल्द काछबा के पीठ पिछे उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 506 रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा का विधिवत भू–विभाजन किये बिना व सहखातेदारों की सहमति प्राप्त किये बिना अवैध तरीके से दिनांक 02.08.1976 को जरिये बेचान रजिस्ट्री दस्तावेज बुक नंबर 1, जिल्द संख्या 12 के पृष्ठ संख्या 121–122 के अपना संपूर्ण हिस्सा अर्थात् 19 बीघा 09 बिस्वा का विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को बेचान कर दिया तथा प्रार्थीगण सहखातेदार को सुने बिना बंटवाड़ा के जरिये नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 22.01.1969 के खरीदसुदा आराजी के बटटा नंबर 506/735 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम की अलग जमाबंदी, नक्शा ट्रेस गैर कानुनी रूप से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 506 रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा गैर कानुनीया रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लागयात 5 के नाम का खसरा संख्या 506/735 भी शामिल है जिसके नवीन खसरा संख्या 1471 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा 1472 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1473 रकबा 2.80 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1477/2202 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1474 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा संख्या 1475 रकबा 0. 02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1476 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1477 रकबा 3. 14 हैक्टेयर तहबीज हुए है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी सहखातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की होने से अप्रार्थीगण को बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति तीनों मूलभूत स्तम्भ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थीगण के तथ्यों का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 506, रकबा 39 बीघा 09 बीस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 1471, 1472, 1473, 1477/2202, 1474, 1475, 1476, 1477 जूमले रकबा 6.39 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की है मौके पर एवं विधिवत् राजस्व बंटवाड़ा नहीं होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा अरणाय के खसरा संख्या 506, 506/735 जूमले रकबा 39 बीघा 09 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 1471, 1472, 1473, [illegible] 1474, 1475, 1476, 1477 जूमले रकबा 6.39 हैक्टेयर भूमि [illegible] यथास्थिति कायम रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मुल [illegible] नत्थी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:38:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट – ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर